न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट नंगलीमेघा)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1/101/17 निर्णय दिनांक : 21.05.2018

उनवान

1. नन्नू खां पुत्र सुबराती
2. मोहर खां पुत्र सुबराती
3. सुमेर खां पुत्र सुबराती जाति मेव निवासियान ग्राम नंगलीमेघा तहसील रामगढ जिला अलवर।

..............................वादीगण

बनाम

1. छुटटन पुत्र दल्ला
2. साहबुदीन पुत्र बडडन
3. रजाक मोहम्मद पुत्र बडडन
4. रूसमीन खां पुत्र बडडन
5. कमरू पुत्र दल्ला
6. रूजदार पुत्र दल्ला
7. सुलेमान पुत्र जुम्मा
8. आसमोहम्मद पुत्र जुम्मा
9. निजरू पुत्र घीसा
10. नूरदीन पुत्र सुब्बन
11. कमालुदीन पुत्र मल्लू खां
12. फजरू पुत्र घीसा जाति मेव निवासीयान ग्राम सहजपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 28 रकबा 0.05, 29 रकबा 0.01, 30 रकबा 0.09, 31 रकबा 0.10, 36 रकबा 0.12, 37 रकबा 0.12, 38 रकबा 0.19, 39 रकबा 0.19, 40 रकबा 0.09, 41 रकबा 0.12, 42 रकबा 0.13, 43 रकबा 0.21, 44 रकबा 0.15, 65 रकबा 0.24, 68 रकबा 0.40, 69 रकबा 0.32 हैक्ट0 कुल किता 16 रकबा 2.53 हैक्ट0 वाके ग्राम नंगलीमेघा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है, जो आराजी विवादित है। विवादित आराजी वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। खातेदार की हैसियत से वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा मौके पर कब्जा काश्त है। विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 28 में बुजुर्गो के समय से वादीगण का

निजी कब्रिस्तान बना हुआ है। जिसका वादीगण उपयोग करते है। तथा खसरा नम्बर 30 में वादीगण ने बसावट की हुई है। जिसमें वादीगण कार्य काश्त के लिए रिहायश करते चले आ रहे है। बाकी आराजी में से कुछ में वादीगण ने जोत लगा रखी है तथा कुछ आराजी में कपास बो रखी है। वादीगण ग्राम नंगलीमेघा के रहने वाले है तथा प्रतिवादीगण ग्राम सहजपुर के रहने वाले है। जिन दोनों गांवों की सीमा आपस में लगती हुई है। प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 01 ग्राम सहजपुर में स्थित है। वादीगण विवादित आराजी के तन्हा रिकोर्डेड काबिज खातेदार है। विवादित आराजी में शान्तिपूर्वक कार्य काश्त कर अपना जीवन निर्वाह करते आ रहे जबकि प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी से गैर काबिज शख्स है। परन्तु प्रतिवादीगण लडाकू किस्म के है। जो लठ के बल से खसरा नम्बर 1 की आड में वादीगण को विवादित आराजी से जबरन बेदखल करना चाहते है। आये दिन झगडा करते है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 28 रकबा 0.05, 29 रकबा 0.01, 30 रकबा 0.09, 31 रकबा 0.10, 36 रकबा 0.12, 37 रकबा 0.12, 38 रकबा 0.19, 39 रकबा 0.19, 40 रकबा 0.09, 41 रकबा 0.12, 42 रकबा 0. 13, 43 रकबा 0.21, 44 रकबा 0.15, 65 रकबा 0.24, 68 रकबा 0.40, 69 रकबा 0.32 हैक्ट0 कुल किता 16 रकबा 2.53 हैक्ट0 वाके ग्राम नंगलीमेघा तहसील रामगढ जिला अलवर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे व किसी प्रकार का अतिक्रमण व अतिचार ना करे, किसी प्रकार से फसल व डोल आदि को ना तोडे व मौके की शक्ल तब्दील न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में तामिल बावजूद भी उपस्थित नही हुए।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत नंगलीमेघा में दिनांक 21.05.2018 को पेश हुई। उभयपक्षकारान को आवाज दिलाई गई। उभयपक्ष अनुपस्थित।

राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत नंगलीमेघा में दिनांक 21.05.. 2018 को पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीगण विवादित आराजी के खातेदार है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 28 रकबा 0.05, 29 रकबा 0.01, 30 रकबा 0.09, 31 रकबा 0.10, 36 रकबा 0.12, 37 रकबा 0.12, 38 रकबा 0.19, 39 रकबा 0.19, 40 रकबा 0.09, 41 रकबा 0.12, 42 रकबा 0.13, 43 रकबा 0.21, 44 रकबा 0.15, 65 रकबा 0.24, 68 रकबा 0.40, 69 रकबा 0.32 हैक्ट0 कुल किता 16 रकबा 2.53 हैक्ट0 वाके ग्राम नंगलीमेघा तहसील रामगढ जिला अलवर तहसील रामगढ जिला अलवर में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे व किसी प्रकार का अतिक्रमण व अतिचार ना करे, किसी प्रकार से फसल व डोल आदि को ना तोडे व मौके की शक्ल तब्दील न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत नंगलीमेघा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट नंगलीमेघा)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1/101/17 निर्णय दिनांक : 21.05.2018

उनवान

1. नन्नू खां पुत्र सुबराती
2. मोहर खां पुत्र सुबराती
3. सुमेर खां पुत्र सुबराती जाति मेव निवासियान नंगलीमेघा तह0 रामगढ जिला अलवर।

..............................वादीगण

बनाम

1. छुटटन पुत्र दल्ला
2. साहबुदीन पुत्र बडडन
3. रजाक मोहम्मद पुत्र बडडन
4. रूसमीन खां पुत्र बडडन
5. कमरू पुत्र दल्ला
6. रूजदार पुत्र दल्ला
7. सुलेमान पुत्र जुम्मा
8. आसमोहम्मद पुत्र जुम्मा
9. निजरू पुत्र घीसा
10. नूरदीन पुत्र सुब्बन
11. कमालुदीन पुत्र मल्लू खां
12. फजरू पुत्र घीसा जाति मेव निवासीयान ग्राम सहजपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 28 रकबा 0.05, 29 रकबा 0.01, 30 रकबा 0.09, 31 रकबा 0.10, 36 रकबा 0.12, 37 रकबा 0.12, 38 रकबा 0.19, 39 रकबा 0.19, 40 रकबा 0.09, 41 रकबा 0.12, 42 रकबा 0.13, 43 रकबा 0.21, 44 रकबा 0.15, 65 रकबा 0.24, 68 रकबा 0.40, 69 रकबा 0.32 हैक्ट0 कुल किता 16 रकबा 2.53 हैक्ट0 वाके ग्राम नंगलीमेघा तहसील रामगढ जिला अलवर तहसील रामगढ जिला अलवर में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे व किसी प्रकार का अतिक्रमण व अतिचार ना करे, किसी प्रकार से फसल व डोल आदि को ना तोडे व मौके की शक्ल तब्दील न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)